(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 11 / 2025
पंजीकरण सं. :– 2025 / 86

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ(राज.)
(प्रार्थी)

बनाम

श्री शिवचरण योगी पुत्र श्री छोटूलाल जाति योगी निवासी मीनों के मंदिर के सामने, वार्ड नं. 03, माथना जिला बारां (राज.) (विक्रेता) मैसर्स योगी किराना स्टोर, माथना रोड, बारां जिला बारॉ (राज.)
(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) / 51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– अनुपस्थित खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 18.11.2025

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री मोजीलाल कुंभकार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप कुमार दिनांक 05.02.2025 को मैसर्स योगी किराना स्टोर, माथना रोड, बारां जिला बारां (राज.) पर पहुंचा। वहॉ पर श्री शिवचरण योगी पुत्र श्री छोटूलाल योगी (विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप कुमार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहा था और इन्हे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिकृत किया गया था। राजस्थान राज पत्र 01.10.2024 की अधिसूचना संख्या प.5(01)चिस्वा / ग्रुप–3 / 2023 दिनांक 27.09.2024 के द्वारा मुझे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (34 ऑफ 2006) कर धारा 38 में निहित प्रावधानों के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन करने हेतु अधिकृत किया गया था जिसमें क्रम संख्या 4 पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप कुमार का नाम अंकित है। श्रीमान् आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा जयपुर के आदेश कमांक आयुक्त / खासुऔनि / संस्था / 2024 / 2098 दि. 08.10.2024 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई जिसमें क्रम सं. 4 पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप कुमार का नाम अंकित है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक एफ / खासुऔनि / संस्था / 2025 / 101 दि. 15.01.2025 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **घी (न्यू डेयरी बाईट) 01 लीटर** के डिब्बों में कुल 15 लीटर घी पैकेट में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **घी (न्यू डेयरी बाईट) 01 लीटर** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **घी (न्यू डेयरी बाईट) 01 लीटर** का 01 डिब्बा वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत श्री शिवचरण योगी पुत्र श्री छोटूलाल योगी (विक्रेता) को 488 /– रूपये (अक्षरे चार सौ अट्ठासी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **घी (न्यू डेयरी बाईट) 01 लीटर** डिब्बे के 200 एमएल के चार भाग कर चार प्लास्टिक बोतल में लिया और प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक ए.एच.–2157 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–2157 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री शिवचरण योगी पुत्र श्री छोटूलाल योगी (विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्सलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र कमांक/एफएसएसए/2025/56 दिनांक 19.05.2025 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/49/PHLK/Act/2025/49 दिनांक 18.02.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विकय किया गया खाद्य पदार्थ **घी (न्यू डेयरी बाईट) 01 लीटर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zz) (iv) एवं 3(1)(zz) (xi) के तहत असुरक्षित **(Unsafe)** होना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त नमूने की पुनः जांच करवाई गई जो रेफरल फूड लेबोरेट्री सीएसआईआर–सीएफटीआरआई, मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या 704F/FSSA/2025 दिनांक 02.08.2025 से अवमानक **(Sub Standard)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 24.09.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई।

राज. सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित किया है कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **घी (न्यू डेयरी बाईट) 01 लीटर** को वास्ते नमूना जांच हेतु विकय किया गया था, वह रेफरल फूड लेबोरेट्री सीएसआईआर–सीएफटीआरआई, मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या 704F/FSSA/2025 दिनांक 02.08.2025 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी के द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि मैं एक छोटा दुकानदार हूं जो कि किराने का सामान बेचकर जीवनयापन करता हूं। मेरे द्वारा उक्त माल का निर्माण नहीं किया गया है और न हीं इसमें कोई मिलावट की गई है। अतः मेरे विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में अप्रार्थी की एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **घी (न्यू डेयरी बाईट) 01 लीटर** रेफरल फूड लेबोरेट्री सीएसआईआर–सीएफटीआरआई, मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या 704F/FSSA/2025 दिनांक 02.08.2025 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को कुल जुर्माना राशि 50,000/– रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **18.11.2025** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)